LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Thursday, 26 November, 2015/ 05 Margshirsha, 1937 (Saka)

No. 19

2.02 P.M. Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.03 P.M. The House observed two minutes silence in memory of the victims of the terrorist attack in Mumbai on 26 November, 2008.

2. 2.06 P.M. **Observance of Constitution Day:**
The House observed Constitution Day and the Hon'ble members repeated the Preamble to the Constitution of India after Hon'ble Speaker.

3. 2.07 P.M. Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition sought to know about the fate of the notice of breach of privilege and contempt given by him under Rule-66.
The Chair stated that the aforesaid notice had been disallowed.

4. 2.09 P.M. Shri Vijender Gupta and Shri Jagdish Pardhan, Members of BJP walked out protesting the decision of the Chair.

5. 2.10 P.M. 1. **Smt. Bandana Kumari, Hon'ble Deputy Speaker** drew the attention of the House regarding awareness campaign "Orange the World" being organized by U.N.O. to curb violence against women.
The following Members also expressed their views on the matter raised by Smt. Bandana Kumari :-
2. Ms. Alka Lamba
3. Ms. Rakhi Birla
4. Ms. Bhavana Gaur
(Sh. Somnath Bharti drew the attention of the Chair towards the news that Shri Akhilesh Pati Tripathi, Member of the House had been arrested and sent to Judicial Custody. The Chair stated that the matter would be dealt separately)
5. Ms. Sarita Singh
6. Smt. Promila Tokas

6. 2.31 P.M. (Ms. Alka Lamba, Ms. Rakhi Birla, Ms. Bhavana Gaur, Smt. Promila Tokas and Ms. Sarita Singh of the Ruling Party came in the well of the House and demanded that Shri Om Parkash Sharma, Member of BJP be sent to jail for his indecorous behavior on 24.11.2015.
They sat on the floor of the House.
Smt. Bandana Kumari, Hon'ble Deputy Speaker also joined them later.)

7. 2.35 P.M. **Shri Kapil Mishra, Minister of Tourism & Water** moved the following Motion under Rule-107 of Rules of Procedure and Conduct of Business :
"That this House decides that the unfortunate incident of 24.11.2015 wherein Shri Om Parkash Sharma, a Member of this House made derogatory remarks against a woman Member of this House be referred to the Ethics Committee of the House for consideration, investigation and report. The Committee shall have full freedom to decide on the procedure to be followed in the matter and shall submit its report before the first sitting of the next session."
The following Members participated in the debate:
(i) Shri Mohinder Goyal (he joined the women members sitting on the floor of the House after his speech)
(ii) Shri Somnath Bharti

The Motion was put to vote and adopted by voice vote.
The matter stands referred to the Ethics Committee.

8. 2.46 P.M. **Shri Kailash Gehlot** moved the following Motion under Rule-107 of Rules of Procedure and Conduct of Business :

"That this House condemns the derogatory remarks made against the Hon'ble Speaker by Shri Om Parkash Sharma both within the House as well during his interaction with the media; and

This House decides that Shri Om Parkash Sharma be suspended from the sitting of the House for the entire duration of the ongoing session."

The following Members participated in the debate:

(i) Shri Rajender Pal Gautam
(ii) Shri Jarnail Singh (Rajouri Garden)
(iii) Shri Madan Lal

The Motion was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Om Prakash Sharma was suspended for the entire duration of the ongoing session.

9. 3.01 P.M. The women Members of the House demanded that Shri Om Parkash Sharma be sent to the jail in view of the adoption of aforesaid Motions.

The other Members of the House also stood and supported the views of the Women Members.

The Chair stated that the matter had been referred to the Ethics Committee. Hence the Members of the House should wait for the submission of its report.

The Members of Ruling Party raised slogans against Shri Om Parkash Sharma.

Uproar in the House.

10. 3:07 P.M. **The Chair adjourned the House for 15 minutes due to continuous disturbance in the proceedings.**

11. 3.28 P.M. **House reassembled.**

Hon'ble Speaker in- Chair.

12. 3.29 P.M. Members of Ruling Party came into the well of the House and again started raising slogans against Shri Om Parkash Sharma demanding his arrest.

Uproar in the House.

13. 3.35 P.M. **The Chair adjourned the House till 4.00 P.M. due to continuous disturbance in the proceedings.**

14. 4.02 P.M. **House reassembled.**

Hon'ble Speaker in- Chair.

15. 4.03 P.M. As the House reassembled, the women Members again sat on the floor of the House.

16. 4.04 P.M. The Chair directed that the replies to Starred questions no. 81 to 100 and to un-starred questions no. 55 to 81 be placed on the table.

<u>Special Mention(Rule-280):-</u> The Chair stated that the matters to be raised by the following Members under Rule-280 be treated as read due to constraint of time:-

1. Sh. Sanjeev Jha
2. Sh. Anil Kumar Bajpai
3. Sh. Vijender Gupta
4. Sh. Shri Dutt Sharma
5. Sh. Ajay Dutt
6. Sh. Rajesh Rishi

7. Sh. Avtar Singh Kalkaji
8. Sh. Nitin Tyagi
9. Sh. Manoj Kumar
10. Sh. Shiv Charan Goel

17. 4.05 P.M. **Shri Manish Sisodia, Deputy Chief Minister** said that the matter of Sh. O.P. Sharma has been referred to the Committee on the Ethics and the House has to transact important business listed for the day. He requested the Women Members to take their seats.

Ms. Alka Lamba and other women Members of the Ruling Party agreed but they demanded that the Committee should submit its report within minimum stipulated time.

The Chair stated that the Members should keep faith in the Committee and assured that the report would be submitted before the first day of the next session.

The Women Members returned to their seats.

18. 4.10 P.M. **Sh. Jagdeep Singh, Chief Whip** moved the following motion :

"This House agrees to have five more sittings i.e. from 30 November, 2015 to 04 December, 2015 to enable us to transact the business being brought before the House."

The Motion was put to vote and adopted by voice vote.

The Session stands extended till 04 December, 2015.

19. 4.11 P.M. Shri Pankaj Pushkar stated that the police resorted to *lathi* charge on the protesting students who were coming to the Assembly Premises for meeting the Deputy Chief Minister and requested that the students be allowed to hold their protest.

The Chair stated that no demonstration could be allowed near the Assembly premises. He suggested that the students could have sent a small delegation to submit their demands to the Minister.

20. 4.13 P.M. **<u>Presentation of Reports :</u>**

(i) Shri Rajender Pal Gautam presented the First Report of **Committee of Privileges (VI Legislative Assembly) NCT of Delhi**."

(ii) Shri Somnath Bharti presented the Second Report of **Committee of Privileges (VI Legislative Assembly) NCT of Delhi**."

21. 4.14 P.M. **<u>Paper laid on the Table</u>** :-

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister laid the copies of the following Notifications & Reports on the table of the House :-

(i) Notification No.F.14(6)/LA-2015/cons2law/117-126 dated 14/7/2015 regarding "The Delhi Value Added Tax (2nd Amendment) Act 2015 (Delhi Act 05 of 2015)."

(ii) Notification No.F.3(4)/Fin(Rev-I)/2015-16/DS-VI/536 dated 15/07/2015 regarding "The Delhi Value Added Tax (2nd Amendment) Act, 2015 (Delhi Act 05 of 2015) regarding 15th July 2015 as the date on which said Act shall come into force."

(iii) Notification No.F.3(10)/Fin (Rev-I)/2015-16/DS-VI/546 dated 15/07/2015 regarding "Amendment in the Sixth Scheduled appended to The Delhi Value Added Tax Act 2004 (Delhi Act 03 of 2005), the entry at Sl.No.10 shall be omitted with effect from 16th July 2015."

(iv) Notification No.F.3(10)/Fin (Rev-I)/2015-16/DS-VI/547 dated 15/07/2015 regarding "Fourth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act 2004 regarding price of petrol notification shall come into force with effect from 16th July 2015."

(v) Notification No.F.3(11)/Fin (Rev-I)/2015-16/DS-VI/599 dated 31/07/2015 regarding "Amendment in the Third Schedule appended to the said Act namely this notification shall come into force with effect from 1st August 2015."

(vi) Notification No.F.3(12)/Fin (Rev-I)/2015-16/DS-VI/650 dated 12/08/2015 regarding "Delhi Value Added Tax Amendment Rule 2015 come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette."

(vii) Notification No.F.3(18)/Fin (Rev-I)/2015-16/DS-VI/886 dated 30/10/2015 regarding "Central Sales Tax Delhi Amendment Rules 2015."

(viii) Notification No.F.3(20)/Fin (Rev-I)/2015-16/DS-VI/906 dated 12/11/2015 regarding "Delhi Value Added Tax Amendment Rules, 2015, Amendment of Form DVAT16."

(ix) Notification No.F.3(21)/Fin (Rev-I)/2015-16/DS-VI/907 dated 12/11/2015 regarding "The Delhi Value Added Tax Amendment Rules, 2015, Amendment of Rule-7."

(x) Annual Reports of the Delhi Financial Corporation for the year 2012-13 & 2013-14.

(xi) Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Delhi Financial Corporation for the year 2012-13.

(xii) Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Delhi Financial Corporation for the year 2013-14.

22. 4.15 P.M. **Introduction of Bills :**

Shri Gopal Rai, Minister of Labour introduced the following Bills with the leave of the House:-

(i) "Minimum Wages (Delhi) Amendment Bill, 2015."

(ii) "The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Bill, 2015."

23. 4.42 P.M. **Consideration & Passing of Bill:**

Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister moved that **"The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) (Amendment) Bill, 2015 (Bill No. 11 of 2015)"** introduced on 23 November, 2015 be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

The following Members participated in the debate :-

1. Sh. Sanjeev Jha
2. Sh. Nitin Tyagi
3. Sh. Rajesh Gupta
4. Ms. Alka Lamba
5. Sh. Jagdish Pradhan
6. Sh. Rajesh Rishi
7. Sh. Avtar Singh Kalkaji
8. Sh. Jarnail Singh (Rajouri Garden)
9. Sh. Vijender Gupta

24. 5.34 P.M. **Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** replied to the debate.

25. 5.59 P.M. The Bill was considered clause-wise.

Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister moved that **"The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) (Amendment) Bill, 2015 (Bill No. 11 of 2015)"** introduced on 23 November, 2015 be passed.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

26. 6.05 P.M. **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Friday, 27 November 2015.**

Delhi **Prasanna Kumar Suryadevara**

26 November, 2015 **Secretary**

विधान सभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

समाचार भाग–1

कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

वीरवार, 26 नवम्बर, 2015/मार्गशीर्ष 05, 1937(शक)

संख्या–19

2.02 बजे श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1\. 2.03 बजे सदन ने दिनांक 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण किया।

2 2.06 बजे **संविधान दिवस :**

सदन ने संविधान दिवस मनाया तथा माननीय सदस्यों द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई।

3 2.07 बजे **श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष** ने उनके द्वारा नियम-66 के अंतर्गत दी गई विशेषाधिकार हनन तथा अवमानना की सूचना के संबंध में जानना चाहा।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उपरोक्त सूचना को अस्वीकार कर दिया गया है।

4 2.09 बजे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान ने अध्यक्ष महोदय के निर्णय के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

5 2.10 बजे **श्रीमती बंदना कुमारी, माननीय उपाध्यक्ष** ने महिलाओं के विरुद्ध अहिंसा समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान 'ओरेंज द वर्ल्ड' के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा उठाये गये मामले पर निम्नलिखित सदस्यों ने विचार व्यक्त किये :-

2\. सुश्री अलका लाम्बा
3\. सुश्री राखी बिडला
4\. सुश्री भावना गौड़

(श्री सोमनाथ भारती ने अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस समाचार की तरफ आकर्षित किया कि सदन के सदस्य श्री अखिलेशपति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।)

5\. सुश्री सरिता सिंह
6\. श्रीमती प्रोमिला टोकस

6 2.31 बजे (सत्ता पक्ष की सदस्य सुश्री अलका लाम्बा, सुश्री राखी बिडला, सुश्री भावना गौड़, श्रीमती प्रोमिला टोकस तथा सुश्री सरिता सिंह सदन के वैल में आ गईं तथा मांग करने लगीं कि दिनांक 24 नवम्बर, 2015 को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा को उनके अमर्यादित आचरण के कारण जेल भेजा जाए।

वे सदन के वैल में बैठ गईं।
श्रीमती बंदना कुमारी, उपाध्यक्ष महोदया भी बाद में उनके साथ बैठ गईं।)

7 2.35 बजे **श्री कपिल मिश्रा, पर्यटन एवं जल मंत्री** ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-
यह सदन निर्णय करता है कि दिनांक 24 नवम्बर 2015 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें इस सदन के सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा ने सदन की एक महिला सदस्य के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी की, उक्त मामले को विचार, जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सदन की आचरण समिति को सौंप दिया जाये। समिति को इस विषय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्णय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथा यह समिति आगामी सत्र की प्रथम बैठक से पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री महेन्द्र गोयल (अंपने भाषण के बाद वे महिला सदस्यों के साथ सदन के वैल में बैठ गये।)
2. श्री सोमनाथ भारती

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।
मामला आचरण समिति को सौंप दिया गया।

8 2.46 बजे **श्री कैलाश गहलोत** ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-
यह सदन श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा अध्यक्ष महोदय के विरूद्ध सदन में तथा मीडिया के साथ वार्तालाप के दौरान की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है, और
यह सदन निर्णय करता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा को वर्तमान सत्र की पूर्ण अवधि के लिए निलम्बित किया जाये।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री राजेन्द्रपाल गौतम
2. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
3. श्री मदन लाल

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।
श्री ओम प्रकाश शर्मा को वर्तमान सत्र की पूर्ण अवधि के लिए निलम्बित किया गया।

9 3.01 बजे सदन की महिला सदस्यों ने यह मांग की कि उपरोक्त प्रस्तावों के स्वीकार होने के दृष्टिगत श्री ओम प्रकाश शर्मा को जेल भेजा जाये।
सदन के अन्य सदस्य भी खड़े हो गये तथा महिला सदस्यों के विचारों का समर्थन करने लगे।
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मामला आचरण समिति को सौंप दिया गया है। अत: सदस्यों को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।
सत्ता पक्ष के सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरूद्ध नारेबाजी करने लगे।
सदन में शोर-शराबा।

10 3.07 बजे **सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन 15 मिनट तक के लिये स्थगित किया।**

11 3.28 बजे **सदन पुन: समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

12 3.29 बजे सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गये तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे।
सदन में शोर-शराबा।

13 3.35 बजे **सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन अपराह्न 4.00 बजे तक के लिये स्थगित किया।**

14 4.02 बजे **सदन पुन: समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

15 4.03 बजे जैसे ही सदन पुन: समवेत हुआ, महिला सदस्य पुन: सदन के वैल में बैठ गई।

16 4.04 बजे अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि तारांकित प्र.सं. 81 से 100 और अतारांकित प्र.सं. 55 से 81 के उत्तर सदन पटल पर रखे जायें।

विशेष उल्लेख (नियम-280):

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समय के अभाव के कारण निम्नलिखित सदस्यों द्वारा **नियम-280 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले** विशेष उल्लेख के मामलों को पढ़ा हुआ माना जाये:

1. श्री संजीव झा
2. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
3. श्री विजेन्द्र गुप्ता
4. श्री श्रीदत्त शर्मा
5. श्री अजय दत्त
6. श्री राजेश ऋषि
7. श्री अवतार सिंह कालकाजी
8. श्री नितिन त्यागी
9. श्री मनोज कुमार
10. श्री शिवचरण गोयल

17 4.05 बजे **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री** ने कहा कि श्री ओम प्रकाश शर्मा का मामला आचरण समिति को सौंप दिया गया है तथा सदन को आज सूचीबद्ध महत्वपूर्ण कार्य का निपटान करना है। उन्होंने महिला सदस्यों से अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया। सुश्री अलका लाम्बा तथा सत्ता पक्ष की अन्य महिला सदस्यों ने सहमति व्यक्त की लेकिन उन्होंने मांग की कि समिति अपना प्रतिवेदन न्यूनतम निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदस्यों को समिति में विश्वास रखना चाहिए तथा आश्वासन दिया कि प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत किया जाएगा।
महिला सदस्य अपने स्थान पर जाकर बैठ गई।

18 4.10 बजे **श्री जगदीप सिंह, मुख्य सचेतक** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-
यह सदन दिनांक 30 नवम्बर, 2015 से 04 दिसम्बर, 2015 तक पांच अतिरिक्त बैठकों के लिए सहमत है ताकि सदन के समक्ष लाया जा रहा कार्य निपटाया जा सके।
प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।
सत्र की अवधि 04 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ा दी गई।

19 4.11 बजे **श्री पंकज पुष्कर** ने कहा कि पुलिस ने उन प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया जो उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विधान सभा परिसर आ रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रदर्शन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विधानसभा परिसर के निकट किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए मंत्री महोदय के पास छोटा प्रतिनिधि मण्डल भेजना चाहिए था।

20 4.13 बजे **<u>प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण</u>**

1. श्री राजेन्द्रपाल गौतम ने **विशेषाधिकार समिति** (छठी विधान सभा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का ***प्रथम प्रतिवेदन*** सदन में प्रस्तुत किया।
2. श्री सोमनाथ भारती ने **विशेषाधिकार समिति** (छठी विधान सभा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का ***दूसरा प्रतिवेदन*** सदन में प्रस्तुत किया।

21 4.14 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात :-**
श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा प्रतिवेदनों की प्रति सदन पटल पर रखी :-

1. "दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का दिल्ली अधिनियम संख्या 05)" के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 14(6) /एल.ए-2015/cons2law /117-126 दिनांक 14.07.2015
2. "दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का दिल्ली अधिनियम संख्या 05)" के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(4) /वित्त (राज-1)/2015-16/डी.एस-VI /536 दिनांक 15.07.2015 जिसके तहत 15 जुलाई 2015 को उस तिथि के रूप में नियत किया गया है, जिस तिथि को उक्त अधिनियम लागू होगा।
3. "दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम संख्या 03)" से संलग्न छठी अनुसूची में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3 (10) /वित्त (राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/546 दिनांक 15.07.2015 जिसके तहत क्रमांक 10 प्रविष्टि को दिनांक 16 जुलाई 2015 से हटाया जायेगा।
4. "दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम

संख्या 03)" से संलग्न चतुर्थ अनुसूची में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3 (10) /वित्त (राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/547 दिनांक 15.07.2015 जिसके तहत पैट्रोल दरों से संबंधित अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2015 से प्रभावी होगी।

5. उक्त अधिनियम से संलग्न तृतीय अनुसूची में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3 (11)/वित्त (राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/599 दिनांक 31.07.2015, जिसके तहत यह अधिनियम दिनांक 01अगस्त 2015 से प्रभावी होगा।

6. "दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर संशोधन नियम, 2015 के लागू होने की तिथि इसके दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी," इसके संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3 (12) /वित्त (राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/650 दिनांक 12.08.2015

7. "केन्द्रीय बिक्री कर दिल्ली अधिनियम नियम, 2015" के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(18)/वित्त (राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/886 दिनांक 30.10.2015

8. "दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम नियम, 2015 के तहत फार्म DVAT 16" में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3 (20) /वित्त (राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/906 दिनांक 12.11.2015

9. "दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर संशोधन नियम, 2015 के तहत नियम 7 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3 (21)/वित्त (राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/907 दिनांक 12.11.2015

10. वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु दिल्ली वित्तीय निगम का वार्षिक प्रतिवेदन।

11. वर्ष 2012-13 हेतु दिल्ली वित्तीय निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

12. वर्ष 2013-14 हेतु दिल्ली वित्तीय निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

22 4.15 बजे <u>विधेयकों का पुर:स्थापन :</u>

श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री ने सदन की अनुमति से **निम्नलिखित विधेयकों को** पुर:स्थापित किया :-

1. **"न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015** (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13)"
2. **"कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015** (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 12)"

23 4.42 बजे **विधेयक पर विचार व पारित करना :**

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित **"दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11) "** पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री संजीव झा
2. श्री नितिन त्यागी
3. श्री राजेश गुप्ता
4. सुश्री अलका लाम्बा
5. श्री जगदीश प्रधान
6. श्री राजेश ऋषि
7. श्री अवतार सिंह कालका जी
8. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
9. श्री विजेन्द्र गुप्ता

24 5.34 बजे **श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

25 5.59 बजे **विधेयक पर खण्डवार विचार हुआ।**

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित **"दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11) "** को पारित किया जाए।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

26 6.05 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव

दिल्ली
26 नवम्बर, 2015